न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–36/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हसन खां पुत्र श्री निवाज खां जाति मेव निवासी ग्राम मौलिया तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1

बनाम

1. खिल्लू पुत्र चावला जाति मेव निवासी ग्राम मौलिया तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/ वादी

2. नवल खां पुत्र कालेखां जाति मेव,
3. रूद्धार खां पुत्र काले खां जाति मेव निवासीयान ग्राम मौलिया तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कनवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक कनवाड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0/प्रति0

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शकूर खांन अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1
3. श्री गणपत सिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।
4. श्री रोशनलाल, अभिभाषक तर0 रेस्पो0 सं0 5

::: निर्णय :::

दिनांक :–17.11.2017

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तकसीम आराजी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 443 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम मौलिया तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी में वादी का 1/3 भाग व प्रतिवादी नं0 1 का 1/6 भाग व शेष 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 2 व 3 का है तथा मुताबिक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा पुनः

17/11

राजस्व लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया । पक्षकारान को सुना गया । विद्धान तहत न्यायालय ने वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को भिजवाने के आदेश दि0 19.05.2015 को कर दिये गये जिस निर्णय व डिक्री दि0 19.05.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी ख0 नं0 443 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम मौलिया में है जो अपीलांट/प्रतवादी एवं वादी/रेस्पो0 की सह खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी/रेस्पो0 का 1/3 भाग तथा प्रतिवादी/अपीलांट का 1/6 भाग तथा शेष 1/2 भाग प्रतिवादी सं0 2 व 3 का है ।

अपीलांट अभिभाषक ने वादी द्धारा पेश वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादी द्धारा चाहे गये अनुतोष का हवाला दिया तथा वादी द्धारा विवादित आराजीयात का मौके पर किस तरह से मौखिक बंटवारा करते हुए उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है, का विवरण दिया । बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी के बंटवारे बाबत जो वाद पेश किया गया है उसमें अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और लोक अदालत में कानून के विपरीत जाकर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी है । बहस में अपीलांट अभिभाषक ने वादी के वाद के तथ्यों के विपरीत कहा कि मौके पर पूर्व में वादी के अनुसार किसी प्रकार का बंटवारा किया हुआ नहीं है बल्कि मौके पर हमारा अलग तरह से बंटवारा किया हुआ है । वादी के वाद को खिलाफ कानून पेश होना मानते हुए तथा प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत नहीं मानते हुए अपील स्वीकार करके अधीनस्थ न्यायालय द्धारा जारी प्राथमिक डिक्री दि0 19.05.2015 को निरस्त करने की इस्तदुआ की । साथ ही लोक अदालत में किये गये फैसले को लोक अदालत की भावना के विरूद्ध किया गया फैसला बताते हुए तथा अपीलांट की तलबी नहीं करने तथा एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस जवाब में कथन किया कि जो कुरे रिपोर्ट मंगवायी गयी है उस पर मुझे आपत्ति है । रेस्पो0 को कुरे रिपोर्ट प्रस्ताव में पश्चिम में हिस्सा दिया है, परन्तु मुख्य रास्ते पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं दिया है । यदि मुझे रास्ता नहीं दिया जाता है तो वह किस प्रकार से अपने हिस्से की आराजी पर आ–जाकर उपयोग उपभोग करेगा ? अतः रेस्पो0 भी प्रस्तावित कुरे रिपोर्ट से सहमत नहीं है तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई बाबत प्रतिप्रेषित कराना चाहता है ।

हमने पत्रावली तथा निर्णय का अवलोकन किया तथा अपील के बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलांट अभिभाषक द्धारा जो प्राथमिक डिक्री जारी की है उस पर आपत्ति की जा रही है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । उनकी तलबी नहीं की गई तथा उनकी

अनुपस्थिति में लोक अदालत में लोक भावना के विरूद्ध प्राथमिक डिक्री पारित कर दी है । अतः उन्हें सुना जावें ।

हमने तहत न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के आदेश का अवलोकन किया गया । संयुक्त खातेदारी में विभाजन के लिए पारित की जाने वाली प्राथमिक डिक्री की भाषा यह होती है कि "विवादित सह खतोदारी की आराजी में से सह खातेदारों के मध्य उनके हिस्से अनुरूप विभाजन हेतु अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बंटवारा किये जाने के बाबत प्राथमिक डिक्री की जाती है" । इस प्राथमिक डिक्री में ही सह खातेदारों के हिस्से अनुसार अलग–अलग खाते कायम करते हेतु कुरे रिपोर्ट के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं । अतः न्यायालय के मत में इस प्रकार की प्राथमिक डिक्री की अपील करते हुए निरस्त कराने की इस्तदुआ स्वीकार योग्य नहीं होती है, परन्तु चूंकि यदि ऐसी अपील स्वीकार भी हो जाती है तो प्राथमिक डिक्री में पुनः यही आदेश पारित किये जाते है । चाहे पक्षकारान उपस्थित न हो । यहां पर अपीलांट का कथन है कि उनकी तलबी नहीं हुयी तथा उन्हें सुने बिना ही प्राथमिक डिक्री पारित कर दी है । रेस्पो0 अभिभाषक ने जो प्रस्तावित कुरे रिपोर्ट भिजवाये हैं जो पत्रावली में संलग्न है पर आपत्ति की है कि उन्हें रास्ता नहीं दिया है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को पुनः सुनकर नये सिरे से प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित करें और उसमें सह खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार बंटवारे के प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 18 से 21 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही कुरे रिपोर्ट मंगवाये । कुरे रिपोर्ट में उभयपक्षों को आने–जाने के रास्ते का प्रावधान भी किया जावें तथा नियम 18 से 21 के प्रावधानों का पालन करते हुए यथासम्भव जो सह खातेदार अपने आवास इत्यादि बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखते हुए कुरे रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से मंगवाने बाबत आदेश जारी करें । इसलिए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करते हुए प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 19.05.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर दिये गये आदेशानुसार उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें । दोनों पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में दि0 21.12.2017 को उपस्थित हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/11/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर